पशु चि0 एवं क0 अधि0 / उप मु0 पशु चि0 एवं क0 अधि0 / अ0न0आ0 / नगर आयुक्त महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि गाजियाबाद नगर निगम सदन द्वारा आवारा / निराश्रित श्वानो, पेट शाप, पालतू श्वानो, छुट्टा आवारा पशुओ तथा अवैध डेरियो पर प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिसे गाजियाबाद नगर निगम की आधिकरिक वेवसाइट www.ghaziabadnagarnigam.in पर अपलोड किया गया है तथा स्वीकृत प्रस्तावों की प्रति स्वयं उपस्थित होकर नवयुग मार्केट स्थित गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय द्वितीय तल पर कक्ष संख्या–11, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त स्वीकृत प्रस्तावों मे उल्लिखित नियमों पर जन आपत्तियॉ / सुझाव नवयुग मार्केट स्थित गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में द्वितीय तल पर स्थित पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी के कार्यालय कक्ष संख्या–11 में समाचार–पत्र में प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। उक्त पारित प्रस्तावों की नियमावली निम्नलिखित हैः–

मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.09.2023 की प्रस्ताव संख्या 02

1. सभी पालतू श्वानो का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
2. पालतू श्वानो के पंजीकरण हेतु किसी वैध पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत एण्टी रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र तथा बध्याकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। श्वानो का बध्याकरण 01 वर्ष की उम्र होने के पश्चात कराया जायेगा तथा विशेष परिस्थितियो मे छुट प्रदान की जा सकती है।
3. लाईसेन्स शुल्क 1000 / – रूपये किये जाये तथा नवीनीकरण शुल्क 500 / – किये जाये।
4. 200 वर्ग गज मे अधिकतम 02 पालतू श्वानो तथा 300 वर्ग गज मे अधिकतम 04 पालतू श्वानो का पंजीकरण किया जायेगा।
5. आवेदन करने वाले पशु स्वामियो को उनके द्वारा पाले जा रहे श्वानों से पब्लिक न्यूसेंस न करने सम्बन्धी शपथ पत्र भी देना होगा।
6. 05 या 05 से अधिक श्वान होने पर पशु शेल्टर के प्राविधान लागू होगे, जिसे आवासीय क्षेत्र मे नही रखा जा सकेगा।
7. पालतू श्वानों के गंदगी की सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्वान मालिक की होगी। इसके अतिरिक्त, आवारा श्वानो के ध्यान रखने की जिम्मेदारी AOA/RWA की होगी।
8. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने श्वानो का न खाना खिलायेगा न गन्दगी फैलायेगा।
9. पशु प्रेमी तथा AOA/RWA समन्वय स्थापित करते हुये आवारा श्वान के खाना खिलाने हेतु श्वान फीडिग स्थान तय करे।
10. सार्वजानिक स्थान जैसे– पार्क, लिफ्ट मे श्वान को ले जाते समय मजल (Muzzle) लगाना अनिवार्य होगा, परन्तु अत्यधिक गर्मी के मौसम मे जहाँ लोग कम हो मजल (Muzzle) हटा सकते है।
11. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पीटबुल (Pitbul) रॉट वीलर (Roitweiller) तथा डोगो अर्जेन्टीनो (Dogo Argentino) जैसे आक्रामक श्वानो का पंजीकरण तथा ब्रीडिंग (Breeding) प्रतिबन्धित किया जाता है।
12. उपरोक्त नियमो की अवहेलना पर प्रति श्वान अंकन 10,000 / – रूपये अर्थदण्ड के रूप मे लगाया जायेगा।

मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.09.2023 की प्रस्ताव संख्या 03

पेट शाप पर अनुज्ञप्ति निर्धारण करने हेतु।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधियनम 1959 की धारा 426 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 415 / नौ–8–23–89ज / 2017 दिनांक 28.02.2023 के कम मे पेट शाप के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्ते सदन द्वारा दिनांक 26.09.2023 को पारित किये गयेः–

1. गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत सभी पेट शाप को नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा।
2. उक्त अनुज्ञप्ति की फीस अंकन मूल्य 5000 / – रूपये प्रति वर्ष होगी। अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण 30 दिवस के भीतर कराना अनिवार्य होगा।
3. अनुज्ञप्ति के आवेदन के पूर्व पेट शाप को पशुओ के प्रति कूरता का निवारण नियम, 2018 के अनुसार राज्य बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. पेट शाप का विक्रय किये गये सभी पशुओ का अभिलेख रखना अनिवार्य होगा।
5. उक्त नियमो की अवहेलना पर अंकन 5000 / – रूपये अर्थदण्ड के रूप मे लगाया जायेगा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इण्डिया तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश उक्त नियमो पर प्रभावी माने जायेंगे।

मा0 सदन की बैठक दिनांक 15.10.2022 की प्रस्ताव संख्या 535

नगर निगम सीमन्तर्गत अवैध डेरियो द्वारा नालियो मे गोबर बहाया जाता है जिससे सक्रमण फैलने के साथ–साथ नाले–नाली भी चोक होती है। इसके अतिरिक्त समर–सेविल लगाकर जलदोहन का कार्य किया जाता है। यह कृत्य मा0 एन.जी.टी के द्वारा दिये गये आदेशो तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये डेयरी फार्म और गौशालाओं के पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिशा–निर्देशो का उल्लंधन है। अतः अवैध डेरियो पर कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय सदन द्वारा दिनांक 15.02.2022 को निम्नलिखित नियम एवं शर्ते पारित किये गये :–

1. अवैध डेरियो पर अधिकतम 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक का जुर्माना प्रस्तावित किया जाये।
2. प्रथम बार आदेशो के उल्लंधन मे अवैध डेयरी के संचालक पर 500 रूपये प्रति पशु जुर्माना लगाया जाये।
3. द्वितीय बार आदेशों के उल्लंघन मे अर्थदण्ड की राशि बढ़ाते हुये 1000 रूपये प्रति पशु जुर्माना लगाया जाये।
4. आदेशों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति मे अवैध डेरियो पर कार्यवाही करते हुये उन्हे सीलबन्द किया जाये तथा जब्त पशुओ की नीलामी की जाये।
5. अवैध डेरियो के सम्बन्ध मे मा0 न्यायालय, एन.जी.टी तथा शासनादेष द्वारा पारित दिशा–निर्देश ही प्रभावी माने जायेगे।
6. ऐसे भू–स्वामी जो अवैध डेरियो को किराये पर व्यवसाय हेतु भूमि प्रदान करते है, उन पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को कार्यवाही हेतु संतुति किये जाये।
7. ऐसे पशु पालक जिनके पास दो या दो कम पशु है और उन्होने अपनी भूमि पर उनका पालन–पोषण कर रहा है। उसको डेयरी की श्रेणी न रखा जाये।

मा0 सदन बैठक दिनांक 09.01.2024 की प्रस्ताव संख्या 45 :–

मा0 मा0 सदन बैठक दिनांक 26.09.2023 के प्रस्ताव संख्या 19 विषयः–मान0 पार्षद श्रीमती कुसुम गोयल, वार्ड–72 द्वारा अवगत कराया गया कि कौशाम्बी हो चाहे वैशाली हो या महानगर की अन्य जगह हो दिन भर आवारा पशु सड़कों पर घुमते रहते हैं। नगर निगम द्वारा भी समय–समय पर इन पशुओं को उठाया जाता है और इनके मालिकों से 2000 तथा डेढ़ सौ रूपये खाने के रूप में प्रतिदिन लिये जाते हैं। उसके बाद भी आवारा पशुओं की संख्या कम नहीं हो पा रही। अभी नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवारा पशुओं को पकड़े जाने पर पर 10,000/– का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है। बड़ी बात यह है कि एक तो इससे दुर्घटना की सम्भावना बन जाती है, दूसरा सड़कों पर गंदगी रहती है। अधिकतर लोग दूध निकालने के बाद पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं। आपसे निवेदन है कि 2000 की जगह पहली बार पकड़े जाने पर 10,000/– रूपये का जुर्माना दूसरी बार 15000 तथा तीसरी बार 20000 का जुर्माना एवं पशु मालिक पर सजा का भी प्राविधान होने का प्रस्ताव मान0 सदन द्वारा पारित किया गया।

अतः मान0 सदन में स्वीकृत उपरोक्त प्रस्तावों में उल्लिखित नियमों के सम्बन्ध में जन आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त करने सम्बन्धी आख्या का अवलोकन कर सहमति की दशा में अनुमोदन करते हुए 02 समाचार–पत्रों में प्रकाशन कराने के लिए समाचार–पत्र का नाम अंकित करने हेतु रिपोर्ट आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

16.2.24 Ashish 16/2/24 16/2/24

लिपिक | प0चि0 एवं क0अधि0 | उ0मु0प0चि0 एवं क0अधि0

(1) Amar Ujala
(2) Yug Karwat

16.2.24 16/2/24

अपर नगर आयुक्त | नगर आयुक्त